फाइल संख्या: 26-11/53/2023-एनए-डीजीएस दिनांक: 15.02.2024

नौमनि आदेश: 2024 का 04

विषय: बल्क कैरियरों और तेल टैंकरों के सर्वेक्षणों के दौरान निरीक्षण के बढ़ाए गए कार्यक्रम पर अन्तर्राष्ट्रीय संहिता में संशोधन, 2011 (2011 ईएसपीसीओडीई) और इसकी प्रयोज्यता-संबंधी।

जबकि, भारत सरकार ने समुद्र में जीवन की सुरक्षा हेतु अन्तर्राष्ट्रीय कन्वेन्शन, 1974 का अनुसमर्थन किया है और कन्वेन्शन परिग्रहण के माध्यम से 25 मई, 1980 को प्रवृत्त हुआ। 1988 के प्रोटोकॉल द्वारा यथा आशोधित कन्वेन्शन परिग्रहण के माध्यम से 22 नवंबर 2000 को प्रवृत्त हुआ। कन्वेन्शन के अनुच्छेद 1 में सरकार की इस सामान्य बाध्यकारिता को अनिवार्य किया गया है कि इस कन्वेन्शन को प्रभावी बनाने के लिए जो भी उपाय आवश्यक हों वे करे।

जबकि, दिनांक 26 दिसंबर 2014 की अधिसूचना के माध्यम से मान्यता प्राप्त संगठनों (आरओ) को अधिसूचित कर दिया गया था और यथा विनिर्दिष्ट रूप से, प्रत्येक आरओ के साथ एक समझौता हुआ कि कन्वेन्शन के अनुसार सर्वेक्षण और प्रमाणन किए जाएं। वर्ष 2013 के नौमनि आदेश संख्या 6 में आरओ को यह सलाह दी गई है कि वे सर्वेक्षण और प्रमाणन करते समय आईएमओ की अनिवार्य संहिताओं का पालन करें।

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि, आईएमओ ने समय-समय पर बल्क कैरियरों और तेल टैंकरों के सर्वेक्षणों के दौरान निरीक्षणों के बढ़ाए गए कार्यक्रम पर अन्तर्राष्ट्रीय संहिता, 2011 (2011 ईएसपी संहिता) में विभिन्न संशोधन जारी किए हैं, जो कि इस आदेश के अनुलग्नक-1 पर लगे हैं तथा ये भारतीय जलयानों पर लागू हैं। इसलिए हितधारकों को सलाह दी जाती है कि वे यथा संशोधित, ईएसपी संहिता को पूरी तरह से प्रभावी बनाने के लिए प्रावधानों के अनुपालन हेतु इस आदेश से मार्गदर्शन प्राप्त करें।

(श्याम जगन्नाथन)
नौवहन महानिदेशक

सेवा में,

नौमनि की वैबसाइट के माध्यम से समस्त हितधारक

(अस्वीकरण- हिन्दी या अंग्रेज़ी पाठ में असमानता होने या कानूनी विवाद की स्थिति में मूल अंग्रेज़ी पाठ ही मान्य होगा।)